



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | ROHTAS
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



1388
117/1033

सेवा में

अधिक / व्यवस्थापक / प्रबंधक

D.A.V. PUBLIC SCHOOL, DEHRI-PATNA ROAD, DALMIANAGAR, DEHRI-ON-SONE, ROHTAS, BIHAR

Dehri-Patna Road, Dalmianagar, Post Office- Darlhat, Dist.- Rohtas, Bihar

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अनावृति विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 20-09-2022 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय विसदृशीय समिति के बैठक दिनांक : 28-06-2023 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय D.A.V. PUBLIC SCHOOL, DEHRI-PAJNA ROAD, DALMIANAGAR, DEHRI-ON-SONE, ROHTAS, BIHAR, Dehri-Patna Road, Dalmianagar, Post Office- Darlhat, Dist.- Rohtas, Bihar, Bharkuria, 821306 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हैं तीन वर्ष 28-06-2023 से 28-6-2026 अवधि के लिए औपर्युक्त प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में उच्चों के नामांकन भी कुत्त क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर बांडा एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि पदि विद्यालय में पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उद्घृत बच्चों के नामांकन भी किया जाएगा तथा किसी भी बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अधिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के थोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपर्चा का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निपटवतः
- (I) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 3.21 Ac डिसमिल
 - (II) कुल निर्भित क्षेत्र :- 3.21 Ac डिसमिल
 - (III) खेल के मैदान के क्षेत्र :- PLAYGROUND, SCIENCE LAB, MATHS LAB, S.S.T. LAB, COMPUTER LAB, LIBRARY, MUSIC ROOM, ACTIVITY ROOM, INDOOR GAMES etc.
 - (IV) वार्षिक कार्यों की कुल संख्या :- 26
 - (V) प्रधानाध्यापक-सह वार्षिक कार्यालय सह-भेड़ार कक्ष :- 3
 - (VI) भाजक संघ वार्षिकाओं के लिये अलग-अलग शोचालय :- Indian, Boys :- 22, Girls 18
 - (VII) पेयजल की सुविधा :- 20
 - (VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0
 - (IX) वाधारहित पहुँच, [] :-
 - (X) शिक्षण अधिगम सांस्कृति खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- Projector, Chart, Maps, Science Equipments (Che, Phy & Bio), Cricket Kit, Football, Table Tennis, Badminton, Chess, Volley Ball, Wrestling etc., (Y, 998, NewsPaper Magazine:- 2)
11. कोई भी अपस्थीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा वैश्वानिक विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्वर्गत निर्दिष्ट सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी प्रतिक्रिया द्रष्टव्य के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति द्वारा अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के ताभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. सेखा का अकेलेहण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त सेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेखा विवरणी वही एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या [23414732022920093650, 2022] है। इस कार्यालय से दिए गए प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लागातार रूप से पूरा करने की सुनिष्ठितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के नियंत्रण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिष्ठित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

प्रिमियम भारत
D.A.V. PUBLIC SCHOOL, ROHTAS
जिला विभाग, विधायक सभा सरकार
Rohtas (Sasaram)

Principal
L.A.V. PUBLIC SCHOOL
Dehlipath Road, Dalmianagar
Dahl-On-Sone
Aff. No. 330333